

प्रेषक

अमिताभ प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
उ०प्र० लखनऊ।
2. समस्त उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
उ०प्र० लखनऊ।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-१

लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2018

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के आवंटन हेतु लाभार्थियों के पंजीकरण शुल्क विषयक।
महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हासिंग-इन-पार्टनरशिप अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण विभिन्न अभिकरणों तथा निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) केन्द्र एवं राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता योजना है, इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रत्येक ई.डब्लू.एस. इकाई के लिए कुल रु० 2.50 लाख की सहायता उपलब्ध होगी। तथा रु० 2.00 लाख तक लाभार्थियों द्वारा दिया जायेगा।

- 2- इस योजना के अन्तर्गत भवनों का आवंटन समाज के अत्यन्त गरीब व्यक्तियों/लाभार्थियों को किया जाना है। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत समस्त श्रेणी के लाभार्थियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में रु० 5000.00/- (रुपये पाँच हजार मात्र) ही जमा कराया जाये। यह आदेश केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के दुर्बल आय वर्ग के आवंटियों पर ही लागू होगा।
3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संख्या व दिनांक – तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ. प. शासन।
2. निजी, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ० प्र० शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ० प्र०।
4. निदेशक सूडा, उ० प्र०।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र०।
6. निदेशक, आवास बन्धु उ० प्र०।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)

अनु सचिव